

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/सूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (स्वायत्त, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य आरम्भ करले ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फक्त शिष्टी केवल आवासीय प्रयोजनार्थी

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 280 दिनांक 25/11/2020

श्री मदन जोधल इति डा० श्री जगन्नी लाल इति

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6673/- जमा

करिये रसीद संख्या 9669/3174 3175

दिनांक 25/11/2020 को जमा करा दी है ।

27/11/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

Reby

Mo No. 9001615811

प्री +1
आवासीय

P.No: 17/239 चौपालती शिष्टी के